

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.), मुकाम-सिरोही(राज.)

वादीगण  
1. दिनेशकुमार पुत्र श्री सरूपारामजी  
जाति सरगडा नि. अन्दौर  
तहसील व जिला सिरोही

बनाम

प्रतिवादीगण

1. श्री उषा पुत्री श्री जैसाराम  
जाति मेधवाल नि. मांकरोडा  
तहसील व जिला सिरोही  
व अन्य - 07

किस्म मुकदमा

रा.वाद. अ.धारा 53, 188 आर.टी. एक्ट

रा.वाद सं. 24 / 2024

दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
21-06-2024	<p>वादीगण ने यह रा.वाद अ.धारा 53, 188 आर.टी.एक्ट का जरिये अधिवक्ता विरुद्ध प्रतिवादीगण का हमारे समक्ष इस न्यायालय में पेश किया। हमने उक्त रा.वाद व संलग्न दस्तावेजात प्रतियों का अवलोकन किया तथा उस पर मनन किया तो हम उक्त रा.वाद में अंकित तथ्यों से प्रथम दृष्टियों आश्वस्त होने से दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण को सम्मन जारी हो। मिसल आयन्दा वास्ते इन्तजार तामिली व जवाब प्रतिवादीगण हेतु दिनांक 28-06-2024 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) सिरोही</p> <p><u>28/6/24</u> पञ्जावली-पेडाडुई। वगील वारी उप.। प्रीतानी व अजिगारी दिगार रा.वा.वा. में अपस्त दे अतः पञ्जावली इलतवा एकर दिवस 25/7/24 को पेश हो।</p> <p><u>25/7/24</u> पञ्जावली-पेडाडुई। वगील वारी व वारी श्री दिनेश कुमार उपस्थित। जिन्होंने पञ्जावली को अपने वकील चलाया चाहते हैं अतः उनको को नोटिस किया। चूंकि वगील व वारी ने उनको को Not Press कर दिया जिन्होंने उक्त वार को अपने चलाये को कोई औचित्य नहीं है। अतः जजिये Not Press स्वयंभूत किया जात है। विनियम 47 के अनुसार (पुनर्जा) जात। पञ्जावली उक्त वार को नम्बर 4 गन हो।</p>	<p>श्री दिनेश 20 7 ही और के अपस्त दे अतः श्री दिनेश दि</p> <p>दिनेश Not Press पञ्जावली</p> <p>श्री दिनेश दि</p>

सहायक कलेक्टर  
सिरोही (राज.)